२५१

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

TWENTY RUPEES

R-148-III/2012

राम जी साहू पिता स्व. हजारी लाल साहू, निवासी ग्राम गहिलरा, तहसील एवं जिला सिंगरौली, म0प्र0 -------------- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन -- --- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 29/ निगरानी /2011-12, आदेश दिनांक 19.11.11

=====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

=====================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमि नं0 83, जिसका नया नं0 359/2 जो पूर्व मे म0प्र0 शासन दर्ज थी, जिसमे प्रार्थी/आवेदक गैरहकदार काश्तकार के रूप मे दर्ज था, इस वजह से म0प्र0 भू राजस्व संहिता के लागू होने के पश्चात प्रार्थी/आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व दर्ज हो गया, भूमिस्वामी स्वत्व बन्दोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा प्रकरण क्र0 171/अ-74/94-95 दिनांक 16.8.95 के अनुसार आदेश हुआ, सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा दिनांक 21.12.96 को उक्त भूमि के गैरहकदार स्वत्व मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया, इस प्रकार भूमि स्वामी स्वत्व आवेदक/

(241)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–148-III / 12** जिला सिंगरौली

रामजी साहू / शासन (म0प्र0)

(1)	(2)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अनूपदेव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 29 / निगरानी / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.11.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया